

26.3.25

५५

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में  
जकील वादी साक्ष्य हेतु वादी गवाह पेश करने का अवसर  
चाहते हैं पूर्व में इन्हें अन्तिम अवसर दिया गया था।  
प्रकरण वादी साक्ष्य पेश करने हेतु दिनांक 3-1-24 से  
आज दिनांक तक कई अवसर दिये जा चुके हैं। किन्तु  
प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं कि गई अतः अवसर दिया  
जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः पत्रावली में साक्ष्य  
वादी पेश करने का अवसर अन्त किया जाता है। प्रकरण  
में साक्ष्य वादी अन्त किया चुकी है। ऐसी स्थिति में  
दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं आ सकते हैं। प्रकरण में दस्ता  
वेज रिकार्ड पर नहीं आने से वाद वादी का सिद्ध नहीं  
हो सकता है। अतः वाद वादी गण का दस्तावेजी  
साक्ष्य सबूत के अभाव में खारिज किया जाता है।

५५